



झारखण्ड राज्य प्रदूषण नियंत्रण पर्वद JHARKHAND STATE POLLUTION CONTROL BOARD

T.A. DIVISION BUILDING (GROUND FLOOR), H.E.C., DHURWA, RANCHI -834004

Phone.: 0651-2400851/2400852/2400979/2401847, Fax-0651-2400850/138.


Web site : www.jspcb.nic.in; e-mail : ranchijspcb@gmail.com

सार्वजनिक सूचना

सभी टायर निर्माता (Producer) (कोई भी व्यक्ति या संस्था जो नए टायर का निर्माण और बिक्री घरेलू स्तर पर करता है या अपने ब्रांड के तहत घरेलू स्तर पर बेचता है, अन्य निर्माताओं या आपूर्तिकर्ताओं द्वारा निर्मित नए टायर आयातित नए टायर बेचता है, नए लगे टायर वाहनों का आयात करता है, टायर और ऑटोमोबाइल निर्माता घरेलू स्तर पर बेचे जाने वाले नए वाहनों में उपयोग के लिए नए टायर का आयात करते हैं या बेकार टायर का आयात करते हैं;), बेकार टायर का पुनर्चक्रणकर्ता (Recycler) (कोई भी व्यक्ति या इकाई जो बेकार टायर को पुनः प्राप्त रबर में बदलने की प्रक्रिया या कार्रवाई में लगा हुआ है या क्रम्ब रबर या क्रम्ब रबर संशोधित बिटुमेन (सीआरएमबी) या पुनर्प्राप्त कार्बन ब्लैक, जो नए टायर और पायरोलाईसिस तेल या चार के निर्माण के लिए कच्चे माल के रूप में उपयोग किया जाता है, जिसका उपयोग केवल ईंधन के रूप में किया जाता है, कच्चे माल के रूप में नहीं, नए टायर के निर्माण के लिए) और रिट्रेडर (Retrader) (कोई भी व्यक्ति या संस्था जो अच्छी संरचनात्मक गुणवत्ता वाले घिसे हुए टायर के ट्रेड और साइड वॉल रबर के नवीनीकरण की प्रक्रिया में लगा हुआ है) के ध्यान में लाना है कि Hazardous and other Wastes (Management & Transboundary Movement) Amendment Rules, 2022 के अनुसार टायर उत्पादकों (Producer), बेकार टायरों के पुनर्चक्रणकर्ताओं (Recycler) और घिसे-पिटे टायरों के पुनर्व्यापारियों (Retrader) को सीपीसीबी के पोर्टल (<https://www.eprtyrespcb.in>) पर पंजीकरण करना आवश्यक है।

उक्त नियामों के अनुसार :-

- I. कोई भी संस्था बिना पंजीकरण के कोई व्यवसाय नहीं करेगी।
- II. पोर्टल के तहत पंजीकृत संस्थाएं किसी भी अपंजीकृत उत्पादक या रिसाइक्लर के साथ सौदा नहीं करेंगी।
- III. कोई भी पंजीकृत इकाई इस अनुसूची के तहत पंजीकरण या रिटर्न या रिपोर्ट या प्रदान की जाने वाली आवश्यक जानकारी प्राप्त करने के लिए गलत जानकारी प्रस्तुत करती है या जानबूझकर जानकारी छिपाती है या किसी अनियमितता के मामले में, ऐसी इकाई का पंजीकरण केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण द्वारा रद्द किया जा सकता है। सुनवाई का अवसर देने के बाद तीन साल तक की अवधि के लिए बोर्ड और इसके अलावा, पर्यावरण क्षतिपूर्ति शुल्क भी लगाया जा सकता है।


(कमलाकान्त पाठक)
शाखा प्रमुख।
M